

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./एएनएम/ 2013/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय द्वारा एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक : एएनएम/प्रशि./2013/328-329 दिनांक 19.06.2013 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 397 दिनांक 10.07.2013 के अनुक्रम में दिनांक 16.12.2013 को निम्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई काउंसलिंग (एएनएम प्रशिक्षण प्रवेश हेतु) के उपरान्त तैयार चयन सूचियों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।

इस संबंध में राज्य सरकार के अग्रिम निर्देशानुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

20  
(के०एल०स्वामी)

अति.निदेशक (प्रशा.)

दिनांक : 17/12/13

क्रमांक: प्रशि./एएनएम/ 2013/783

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
3. निदेशक जन स्वा./प.क. चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. संबंधित अधिकारी को तुरन्त पालनार्थ।
8. आदेश पत्रावली।

20  
(के०एल०स्वामी)

अति.निदेशक (प्रशा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज.जयपुर

